चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/2428

दिनांक : 02-04-26

अनुस्मारक–01

अतिमहत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

विज्ञप्ति

विषय : **बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2026 की आन्तरिक परीक्षाओं के अंक पोर्टल पर अपलोड होने के पश्चात् ही छात्र/छात्राओं को प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा में सम्मिलित किये जाने सम्बन्ध में।**

एतद्द्वारा समस्त सम्बद्ध बी0एड0 महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा **बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2026** की आन्तरिक परीक्षायें, प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा से पूर्व सम्पन्न कराकर उनके अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कराये जाने हैं।

इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति संख्या–गोप0/2376, दिनांक 17.03.2026 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि समस्त सम्बन्धित बी0एड0 महाविद्यालय/संस्थान बी0एड0 पाठ्यक्रम मार्च माह के तृतीय सप्ताह तक पूर्ण कराकर समस्त अर्ह छात्र/छात्राओं की आन्तरिक परीक्षा सम्पन्न कराकर उनके अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल https://annual.ccsuniversityweb.in/ पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें जिससे प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होने से कोई भी अर्ह छात्र/छात्रा वंचित न रहें। यदि अंक अपलोड करने में कोई समस्या आती है तो हेल्प लाईन नम्बर–807791145, 7078132884 के माध्यम से सम्बन्धित समस्या का निवारण कर सकते हैं परन्तु **कतिपय महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा आन्तरिक परीक्षा के अंक अपलोड नहीं किये गये हैं।**

नोट :–1. एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्गत नियमावली के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि अधिकतम 03 वर्ष है। तदोपरान्त उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश शून्य हो जायेगा।

2. **ऐसे छात्र/छात्रा जिनके आन्तरिक अंक अपलोड नहीं किये जायेंगे उन्हें किसी भी दशा में प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किन्तु ऐसे छात्र/छात्रा छूटी हुई प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे बशर्ते छूटी हुई प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा से पूर्व छात्र/छात्रा के आन्तरिक परीक्षा के अंक पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हो। अन्यथा की स्थिति में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि 03 वर्ष पूर्ण होते ही उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।**

3. महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म अग्रसारित कर दिये जाने से स्पष्ट है कि छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय के समस्त देयकों का निस्तारण एवं पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है। आन्तरिक परीक्षा सतत् मूल्यांकन है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे छात्र/छात्रा का आन्तरिक अंक अपलोड न किया जाना, (जबकि छात्र/छात्रा द्वारा पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन किया गया हो तथा सतत् आन्तरिक मूल्यांकन में सम्मिलित भी रहा है), काकृत्य स्थापित उच्च शैक्षिक मानकों के विपरीत है। इस प्रकार का कृत्य किये जाने पर सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध एन0सी0टी0ई0 एवं शासन को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित कर दिया जायेगा जिसके लिये महाविद्यालय/संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।

क्रमश...........02

4. छूटी हुई प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न होने के बाद किसी भी छात्र/छात्रा के आन्तरिक अंक स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिसके लिये सम्बन्धित छात्र/महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे महाविद्यालयों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

5. अर्ह छात्रों के आन्तरिक अंक अपलोड न करने वाले महाविद्यालय/संस्थान का नाम बी0एड0 सत्र 2026–28 की काउंसिलिंग हेतु प्रेषित नहीं किया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को इस आशय से प्रेषित कि बी0एड0 सत्र 2026–28 की काउंसिलिंग हेतु गोपनीय विभाग की बिना संस्तुति के किसी भी महाविद्यालय का नाम प्रेषित न किया जाय।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक महोदय के सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित परीक्षा फार्म के समस्त छात्र/छात्राओं के आन्तरिक अंक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित आन्तरिक परीक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करें जिससे कि महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्र/छात्रा के आन्तरिक अंक निर्बाध रूप से पोर्टल पर अपलोड किये जा सके।
6. निदेशक, सार इन्फोसिस्टम प्रा0लि0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त लिंक पर अंक अपलोड करने की निर्बाध सेवायें उपलब्ध कराना और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल निर्गत मोबाईल नम्बर पर उसका निस्तारण करना भी सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी, वेबसाईट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उक्त विज्ञप्ति समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु।

सहायक कुलसचिव (गोपनीय)